कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25590/2026–27/Part File (1) दिनांक :–यथाहस्ताक्षर

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDOs), **अति आवश्यक**
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
राजस्थान

विषय :– आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा RITMS Portal के उपयोग लिये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– शासन का पत्र दिनांक 28.10.2026 (राजकाज रेफरेंस संख्या–24246667) एवं शासन की अ.शा. टीप क्रमांक प.2(2)शिक्षा–5/2024–16117 जयपुर, दिनांक 27.08.2026 (राजकाज रेफरेंस संख्या–24266442) तथा इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.09.2026 तथा 18.09.2026 (राजकाज रेफरेंस संख्या –24614034)

——0——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रासंगिक समसंख्यक पत्र दिनांक 15.09.2026 के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा RITMS Portal के उपयोग किये जाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका हैं तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 18.09.2026 द्वारा RITMS Portal के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही का TDS Return जनरेट/दाखिल करने के संबंध में निर्देश भी जारी किये गये थे।

शासन के प्रासंगिक पत्र के क्रम में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि RITMS Portal के माध्यम से ही वित्तीय वर्ष 2026–27 की द्वितीय तिमाही (Q2) के सेक्शन 138 एवं 140 के अन्तर्गत TDS Return (फॉर्म 24Q एवं 26Q) जनरेट करवाने एवं समयबद्ध रूप से फाईल करवाने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करें। RITMS Portal के उपयोग लिये जाने के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 04.11.2026 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जिला/ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित DOIT केन्द्र पर किया जायेगा। अतः संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित किया जाता हैं किउक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से समय पर भाग लेना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

(डॉ. ज्योति बाला व्यास)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/बजट/बी–4/25590/2026–27/Part File (1) दिनांक :–यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–2 एवं 5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट (सं. निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
5. उप निदेशक (प्रशासन/समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक प्रशिक्षण में उपस्थिति, RITMS Portal के उपयोग एवं सफल क्रियान्वयन हेतु मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान को भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने अधीनस्थ समस्त DDOs, PEEOs एवं UCEEOs हेतु निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सभी को भाग लेने हेतु पाबंद करें।
8. अनुभाग अधिकारी, रोकड़ अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No.: 25313825

Digitally signed by JYOTI
Designation: Chief Accounts Officer
Date: 2026-11-02 17:42:30 IST

v-1.0

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.05(01)शिक्षा–2/विविध/2026–38709 पार्ट 1 जयपुर, दिनांकः– As E-Signed

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर।

विषयः– आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा RITMS Portal के उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा RITMS Portal के उपयोग किये जाने के संबंध में वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग की अशा. टीप. क्रमांक प.2(2) शिक्षा–5/2024– 16117 दिनांक 27.08.2026 की प्रति मूल ही नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(के.आर. मीना)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

Document certified by KANA RAM MEENA <meenakr5121@gmail.com>.
Digitally Signed by Kana Ram Meena
Designation : Senior Deputy Secretary
Date :28-10-2026 04:26:24

RajKaj Ref No.: 25246667

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

विषयः–आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा RITMS Portal के उपयोग किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–जनरल मेनेजर (तकनीकी) राजकॉप इंफो सर्विसेज लि. का पत्र एवं DOITC का पत्र दिनाक 21.08.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में आपके निर्देशानुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा RITMS Portal के उपयोग किये जाने के संबंध में आयोजित बैठक में अद्य हस्ताक्षरकर्ता उपस्थित हुई। उक्त बैठक में निम्न निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी को वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03.02.2025 एवं 15.07.2025 की अनिवार्य रूप से पालना करते हुये रिटर्न फाईल करने हेतु RITMS Platform का उपयोग करने के लिये उच्च्य स्तर से निर्देशित करवाया जाना है।
2. इस हेतु समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों की ट्रेनिंग आयोजित करवाई जानी है, जिसके लिये श्रीमती प्रीति सुरोलिया, जनरल मेनेजर (तकनीकी) RISL दूरभाष नं. 9413343506 से समन्वय किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही आपके अनुभाग के स्तर से करवाये जाने हेतु संदर्भित प्राप्त पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

(भावना धाभाई)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

संयुक्त शासन सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग।

अ.शा. टीप कमांकः–प.2(2)शिक्षा–5/2024–16117
जयपुर, दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhavana Dhabhai
Designation : Senior Accounts Officer
Date: 2026.08.27 12:09:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24266442